


बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

संख्या:-8/आ0 (राज0उ0)-2-01/2017-2070...../श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, अधीक्षक उत्पाद, सारण को अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने, कार्यालय की रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं रखने और अभिलेखों का रख-रखाव समुचित तरीके से नहीं करने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अधीन निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उपायुक्त उत्पाद पटना-सह-मगध प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया जाता है।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-.....03.04.17

ज्ञापांक:-8/आ0 (राज0उ0)-2-01/2017 -2070

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


21/4/17

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-03.04.17

ज्ञापांक:-8/आ0 (राज0उ0)-2-01/2017 -2070

प्रतिलिपि:-विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/समाहर्ता, सारण, छपरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/पटना/सभी उपायुक्त उत्पाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 एवं श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, अधीक्षक उत्पाद, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


21/4/17

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

✓